न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 197/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

टेकचन्द पुत्र गेहनुराम जाति ओड राजपूत, निवासी गोगामेड़ी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। पूर्व निवासी खाओबास की हवेली वि0स0क्षेत्र खेरथल जिला अलवर 0297

शिकायतकर्ता

बनाम

शेराराम पुत्र चोपाराम निवासी 7 जेकेएम तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित :

श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश दिनांक : 10–07–2017

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25–10–1991 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता प्रार्थी के पिता गेहनु राम ने फर्जी नाम छगुराम पुत्र झॉगी राम के नाम से **चक 7 जे0के0एम0 के मुरब्बा नं. 184/385** का आवंटन करवा लिया जबकि प्रार्थी के पिता के पास खाओ बास की हवेली में 16–00 बीघा नहरी भूमि आवंटित थी जो रोशन लाल को विक्रय की दी। प्रार्थी के सगे भाई ज्ञानचन्द पुत्र गेहनुराम ओड ने फर्जी नाम शेरा राम पुत्र चोपाराम बन कर **चक 7 जे0के0एम0 के मुरब्बा नं0 182/383 में 25–00 बीघा नहरी** भूमि पर काबिज है। उक्त दोनों गेहनुराम व ज्ञानचन्द की वोटरलिस्ट सन् 1966 की गॉव खोआबास वि0स0क्षेत्र खेरथल जिला अलवर की है। इस प्रकार निवेदन किया है कि जॉच कर भूमि खारिज की जावे।

तहसील से रिपोर्ट एवं पत्रावली प्राप्त की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि नवीनतम रिपोर्ट तहसीलदार, राससिंहनगर दिनांक 10–4–17 के अनुसार चक 7 जे0के0एम0 के प0 नं0 184/384 का रकबा खानचन्द पुत्र कोडाराम को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 24–1–91 से आवंटन हुआ है। उक्त रकबा की खातेदारी सनद सं0 74699 दिनांक 7–3–96 को जारी हुई है। खातेदारी मिलने के बाद आवंटी द्वारा उक्त रकबा जरिये बैयनामा ठानासिंह पुत्र वरयामसिंह एवं तनसुखसिंह पुत्र ठानासिंह जाति रामगढिया को बेचान कर दिया था। बेचान होने पर रकबा क्रेतागण के नाम दर्ज हुआ। जसविन्द्रसिंह ने अपनी पत्नी श्रीमती

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जसवीरकौर के नाम से ठानासिंह से रकबा जरिये बैयनामा खरीद कर लिया तथा खातेदार की हैसियत से काबिज है। सैल रजिस्टर चक 7 जे0के0एम0 के अनुसार पं0 नं0 182/383 का 24–00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा पुख्ता आवंटन है जिसकी समस्त किश्तें जमा होने के बाद खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। खातेदारी सनद जारी होने पर जरिये बैयनामा बेचान होने पर खातेदारान के नाम दर्ज रेकार्ड है और खातेदार काबिज है। **मुताबिक उपलब्ध अभिलेख चक 7 जे0के0एम0 का प0 नं0 182/383 का रकबा ज्ञानचन्द पुत्र गेहनुराम को आवंटन होना दर्ज नहीं है।** चक 7 जे0के0एम0 का प0 नं0 184/385 का कि0 नं0 1 ता 25 6.325 है0 रकबा कमलादेवी पत्नी लालचन्द जाति ब्रहामण खातेदार दर्ज है। मौका पर कमलादेवी काबिज है। **उक्त रकबा मूल चन्द पुत्र पूर्ण राम जाति भाट को पुख्ता आवंटन हुआ था। मूलचन्द आवंटन के समय चक 7 जे0के0एम0 में निवास करता था। मुताबिक अभिलेख आवंटन के समय मूलचन्द के पास अन्य भूमि नहीं थी।** इस प्रकार राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस रिपोर्ट पर आधारित करते हुए कहा है कि शिकायत में वर्णित तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं।

अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि हस्तगत प्रकरण 26–10–1991 को संस्थित हुआ है तथा लगभग 26 वर्ष पुराना प्रकरण है। अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं हो रहा है। **शिकायतकर्ता द्वारा अपने पिता गेहनुराम व अपने भाई ज्ञानचन्द के खिलाफ कमशः चक 7 जे0के0एम0 के मुरब्बा नं0 184/385 एवं मुरब्बा नं0 182/383 के संबंध में शिकायत की गई है।** शिकायत के संबंध में तहसीलदार, रायसिंहनगर ने रिपोर्ट कमांक भू0अ0/97/801 दिनांक 10–3–97, 3680 दिनांक 9–11–99 एवं नवीनतम रिपोर्ट कमांक टी0आर0ए0/16/774 दिनांक 10–4–17 प्रेषित की है। रिपोर्ट दिनांक 10–3–97 में चक 7 जे0के0एम0 के मुरब्बा नं0 182/382 एवं मु0 नं0 184/384 का उल्लेख किया गया है, जिसका शिकायत से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट दिनांक 9–11–99 में चक 7 जे0के0एम0 के मु0 नं0 182/383 में 24–00 बीघा शेरचन्द पुत्र चोपाराम जाति ओड साकिन 7 जे0के0एम0 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के रिमाण्ड प्रकरण सं0 174/92 में पारित आदेश दिनांक 24–9–99 के अनुसरण में आवंटित किया गया है। रकबा आगे बेचान हो चुका है तथा मौके पर खरीदार काबिज हैं। नवीनतम रिपोर्ट तहसीलदार, राससिंहनगर दिनांक 10–4–17 के अनुसार **चक 7 जे0के0एम0 के प0 नं0 184/384** का रकबा खानचन्द पुत्र कोडाराम को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 24–1–91 से आवंटन हुआ है। उक्त रकबा की खातेदारी सनद सं0 74699 दिनांक 7–3–96 को जारी हुई है। खातेदारी मिलने के बाद आवंटी द्वारा उक्त रकबा जरिये बैयनामा ठानासिंह पुत्र वरयामसिंह एवं तनसुखसिंह पुत्र ठानासिंह जाति रामगढिया को बेचान कर दिया था। बेचान होने पर रकबा केतागण के नाम दर्ज हुआ। जसविन्द्रसिंह ने अपनी पत्नी श्रीमती जसवीरकौर के नाम से ठानासिंह से रकबा जरिये बैयनामा खरीद कर लिया तथा खातेदार की हैसियत से काबिज है। सैल रजिस्टर **चक 7 जे0के0एम0 के अनुसार पं0 नं0 182/383** का 24–00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा पुख्ता आवंटन है जिसकी समस्त किश्तें जमा होने के बाद खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। खातेदारी सनद जारी होने पर जरिये बैयनामा बेचान होने पर खातेदारान के नाम दर्ज रेकार्ड है और खातेदार काबिज है। **मुताबिक उपलब्ध अभिलेख चक 7 जे0के0एम0 का प0 नं0 182/383 का रकबा**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ज्ञानचन्द पुत्र गेहनुराम को आवंटन होना दर्ज नहीं है। चक 7 जे0के0एम0 का प0 नं0 184/385 का कि0 नं0 1 ता 25 6.325 है0 रकबा कमलादेवी पत्नी लालचन्द जाति ब्रहामण खातेदार दर्ज है। मौका पर कमलादेवी काबिज है। **उक्त रकबा मूल चन्द पुत्र पूर्ण राम जाति भाट को पुख्ता आवंटन हुआ था। मूलचन्द आवंटन के समय चक 7 जे0के0एम0 में निवास करता था। मुताबिक अभिलेख आवंटन के समय मूलचन्द के पास अन्य भूमि नहीं थी।**

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में शिकायतकर्ता की शिकायत में वर्णित तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः शिकायत प्रार्थना–पत्र तथ्यहीन, मनगढंत एवं साक्ष्यों से अपुष्ट होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड संबंधित न्यायालय को भिजवाया जावे एवं आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर में भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 10–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति.जिला कलेक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (डिस्ट्रिक्ट) श्रीगंगानगर (राज.)